उत्तर प्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-1
संख्याः 1/2017/805/18-1-2017-25(43)/2017
लखनऊ दिनांक 09 अगस्त, 2017

# कार्यालय-ज्ञाप

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा-2015 के आधार पर सहायक आयुक्त उद्योग के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से कार्यभार ग्रहण न करने वाले कुल 06 अभ्यर्थियों को कार्यालय-आदेश संख्या- 1585/18-1-2016-25(43)/2016, दिनांक 21-11-2016 द्वारा उनके अनुरोध के आधार पर दिनांक 31-12-2016 तक कार्यभार ग्रहण करने की छूट प्रदान की गई है किन्तु उक्त अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा अभी भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री उत्कर्ष चन्द्र, डी-2-34, सुशान्त गोल्फ सिटी, शहीदपथ, लखनऊ द्वारा शासन में प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 27-06-2017 एवं 29-07-2017 में यह उल्लेख किया गया है कि उनके तैनाती स्थल औरैया में दिनांक 01-05-2017 को उपस्थित होने पर प्रभारी उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, औरैया द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया है। उक्त अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है।

2- शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अपने तैनाती स्थल पर दिनांक 21-08-2017 तक कार्यभार ग्रहण करने की छूट प्रदान की जाती है। यह अन्तिम अवसर है तथा उक्त के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने हेतु समय बढाने का कोई प्रत्यावेदन ग्राहय नहीं होगा। यदि उनके द्वारा उक्त तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो शासन द्वारा अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी:-

| क्रमांक | अभ्यर्थी का नाम | तैनाती का स्थल |
|---|---|---|
| 1 | श्री उत्कर्ष चन्द्र | उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रए औरैया |
| 2 | सुश्री शैली गाबिल | उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्, अलीगढ़ |
| 3- | श्री सुधीर कुमार | उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रए मथुरा |
| 4- | श्री आशीष प्रताप सिंह | उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रए आगरा |

3- उक्त सहायक आयुक्तो की तैनाती सम्बंधी निर्गत पूर्व नियुक्ति आदेश संख्या-1307/18-1-2016-25(;43)2016, दिनांक 26-08-2016, आदेश संख्या-1585-18-1-2016/25(;43)2016, दिनांक 21-11-2016 एव आदेश संख्या-1701-18-1-2016/25(43)2016, दिनांक 25-11-2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

( शैलेन्द्र नाथ शुक्ल )
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1/2017/805(1)18-1-2017/तददिनांकित-

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर को इस निर्देश के साथ कि कृपया दिनांक 22-08-2017 को उक्त के अनुपालन की स्थिति से शासन को अवश्य ही अवगत कराने का कष्ट करें।

2- संबंधित जिलाधिकारी द्वारा आयुक्त एवं निदेशक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर

3- संबंधित कोषाधिकारी द्वारा आयुक्त एवं निदेशक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर

4- संबंधित उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, औरैया/अलीगढ़/मथुरा/आगरा द्वारा आयुक्त एवं निदेशक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।

5- श्री उत्कर्ष चन्द्र, डी-2.34, सुशान्त गोल्फ सिटी, शहीदपथ, लखनऊ।

6- सुश्री शैली गोविल, मकान नं0.17ए स्टेट बैंक कालोनी, नदरई गेट, जनपद-कासगंज।

7- श्री आशीष प्रताप सिंह, पुत्र श्री विजय पाल सिंह, गरीखाना, कटघर, प्रथमा बैक के पीछे, मुरादाबाद-244001

8- श्री सुधीर कुमार, ग्राम-तवालपुर, पोस्ट-ढोलना, जनपद कासगंज- 207001

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( शैलेन्द्र नाथ शुक्ल )
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।